APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), बाडमेर, मुकाम बाड़मेर

कमलेश कुमार .....बनाम.....टीलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद, अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नं. 106 सन् 2021

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
26.10.2021	प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत आयोजित शिविर बमुकाम ग्राम पंचायत मुख्यालय भाड़खा में दिनांक 26.10.2021 को कमलेश कुमार की और से एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है व हिन्दु विधि से शासित होते है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 06 प्रतिवादी संख्या 01 के जायंदा पुत्र व पुत्रिया है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 एक ही पूर्वज ज्वाराराम के वंशज है जिसकी वंश वृक्षावली निम्नानुसर हैः– वादीगण एवं प्रतिवादी का वंशवृक्ष निम्न प्रकार हैः– जवाराराम ↓ टीलाराम ↓ कमलेश कुमार झीमोंदेवी केकूदेवी चूकीदेवी मदीदेवी संतुदेवी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पैतृक संयुक्त खोतदारी की भूमि मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 683/483 रकबा 43.17 बीघा, खसरा नंबर 684/474 रकबा 46.14 बीघा, व मौजा नारणोणियों की ढ़ाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 70 रकबा 01.07 बीघा, खसरा नंबर 195/71 रकबा 23.19 बीघा, खसरा नंबर 196/31 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 197/31 रकबा 03.08 बीघा कुल रकबा 29.10 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादी के दादा जवारा ने तत्कालीन जांगीरदारों से काश्त करने हेतु हासल पर ली थी तथा जिस कारण उक्त भूमि का पर्चा लगान जवारा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा जवारा के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी में आने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का वादग्रस्त भूमि में जन्म	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया है। वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व0 नारणाराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा समान है। वादी अपने पैतृक भूमि में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत् मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी है और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है और वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवारा कर काबिज है क्योंकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5(1)राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि "विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09. 1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि जन्म से ही अधिकार है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों ही जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि मे पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राज0काश्त0अधि0 की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है।" इसी प्रकार इसी परिपत्र में आगे अंकित किया है कि "यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के संबंध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन करवाया जा सकता है।" विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से एवं हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुरूप वादी विवादित भूमि में अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु घोषणा का वाद श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 वृद्धावस्ता में होने के कारण व स्वभाव से भोला होने से अन्य भूमाफियों के प्रभाव के कारण तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण गांव के भूमाफियाओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को लालच एवं प्रलोभन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	देकर व उसको अपने अनुचित प्रभाव में लेकर वादी की जानकारी के बिना वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज समस्त भूमि का हस्तातरण करवाने पर आमादा है तथा वादी को उसकी पैतृक व सहदायिकी भूमि से वंचित करना चाहते है तथा वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि से हमेशा से महरूम करने पर प्रयासरत है जिस पर वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया जा चुका है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अन्य लोगो के अनुचित प्रभाव में आ गया है और अपनी हठधर्मिता पर आ गया है और वादग्रस्त भूमि बेचान व हंस्तातरण करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि होने के कारण उतराधिकार अधिनियम के तहत् वादी का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक व अधिकार उत्पन्न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के हिस्से व कब्जा की भूमि को बेचान व हस्तातरण करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है इसलिये वादी को यह अधिकार है कि वा वादग्रस्त आराजी जो कि वादी की पैतृक भूमि है में उतराधिकार के तहत मिलने वाले हिस्सा की भूमि घोषित करवाने का वैध अधिकारी है जिस हेतु यह वाद खातेदारी घोषणा का श्रीमान् जी के समक्ष पेश है। वाद कारण आज से अरसा लगभग एक माह पूर्व जब प्रतिवादी संख्या 1 अन्य लोगो के बहकावे व अनुचित प्रभाव व दबाव में आकर वादीगण को उनकी पैतृक भूमि में उतराधिकार के रूप में मिलने वाली भूमि से वंचित रखने के लिये भूमि हस्तातरण व बेचने की धमकियां दी गयी व वादीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदंखल करने की कोशिश की गयी तब बमुकाम भाड़खा पुरोहितान व नारणोणियों की ढ़ाण तहसील व जिला बाड़मेर में पैदा हुआ। वाद श्रीमान् के न्यायालय के श्रवणा क्षैत्राधिकार का है। अतः वादीगण का वाद पेश कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि निम्नांकित आशय की डिकरी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निम्न सादिर फरमाई जावें। वादग्रस्त आराजी मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 683/483 रकबा 43.17 बीघा, खसरा नंबर 684/474 रकबा 46.14 बीघा, व मौजा नारणोणियों की ढ़ाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 70 रकबा 01.07 बीघा, खसरा नंबर 195/71 रकबा 23.19 बीघा, खसरा नंबर 196/31 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 197/31 रकबा 03.08 बीघा कुल रकबा 29.10 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार खातेदार घोषित किया जावें। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत आवेदन लोक अदालत की भावना से वाद के रूप में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

तारीखहुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर तारीख जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वंश वृक्षावली एवं प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का इकबाली जवाबदावा प्रतिवादी के ~~प्रतिवेदन~~ के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। वादी कमलेश कुमार का साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 व प्रतिवादी संख्या 1 टीलाराम का साक्ष्य का शपथ पत्र PW-2 पर पेश किया गया। मजमे आम में उक्त तथ्यों की पुष्टी की गई। प्रकट तथ्यों एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की और से इकबाली जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की सहमती के मद्देनजर कमलेश कुमार को वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार घोषित करना उचित प्रतीत होता है।

अतः आपसी रजामन्दी से प्रस्तुत वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 683/483 रकबा 43.17 बीघा, खसरा नंबर 684/474 रकबा 46.14 बीघा, व मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 70 रकबा 01.07 बीघा, खसरा नंबर 195/71 रकबा 23.19 बीघा, खसरा नंबर 196/31 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 197/31 रकबा 03.08 बीघा कुल रकबा 29.10 बीघा में टीलाराम के साथ वादी कमलेश कुमार को सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

कमलेश कुमार
(वकील वादी)
टीलाराम
(वकील प्रतिवादी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट भाड़खा)

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अंतिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 कमलेश कुमार पुत्र टीलाराम जाति कुमावत निवासी नारणोणियों की ढ़ाणी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर	बनाम	1. टीलाराम पुत्र जवाराराम जाति कुमावत निवासी नारणोणियों की ढ़ाणी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 2. झीमोंदेवी पुत्री टीलाराम पत्नी लीलाराम जाति कुमावत निवसी सोनड़ी तहसील व जिला बाड़मेर 3. केकूदेवी पुत्री टीलाराम पत्नी उगाराम जाति कुमावत निवासी मण्डालिया तहसील शिव जिला बाड़मेर 4. चुकीदेवी पुत्री टीलाराम पत्नी नारणाराम जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील व जिला बाड़मेर 5. मदीदेवी पुत्र टीलाराम पत्नी महेश जाति कुमावत निवासी माणिहारी तहसील शिव जिला बाड़मेर 6. सतुदेवी पुत्र टीलाराम पत्नी बीजाराम जाति कुमावत निवासी हेमानाड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 106/2021
निर्णय दिनांक :– 26.10.2021

वादी कमलेश कुमार एवं वादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी टीलाराम वगैराह एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित में इस वाद में आज तारीख **26.10.2021** को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) **फास्टट्रेक** बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 683/483 रकबा 43.17 बीघा, खसरा नंबर 684/474 रकबा 46.14 बीघा, व मौजा नारणोणियों की ढ़ाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 70 रकबा 01.07 बीघा, खसरा नंबर 195/71 रकबा 23.19 बीघा, खसरा नंबर 196/31 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 197/31 रकबा 03.08 बीघा कुल रकबा 29.10 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **26.10.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (रोहित चौहान) फास्ट ट्रेक बाड़मेर
पीठासन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, फास्टट्रेक बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6 कमिष्नर की फीस		आदेषिका की तामील	
7 आदेषिका की तामिल		कमिष्नर की फीस	
जोड़		जोड़	